

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1696

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 मार्च, 2025

19 फाल्गुन, 1946 (शक)

एएसआई संरक्षित क्षेत्र के तहत संपत्तियों का पंजीकरण

1696. श्री अरुण चक्रवर्ती:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि विरासत और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कई भूमि क्षेत्र केंद्रीय सरकार के विभाग के नाम पर दर्ज नहीं किए गए हैं बल्कि वे एक दान-संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं;
- (ख) यदि हां, तो ऐसी पंजीकृत गॉड्स पोस्ट-प्रॉपर्टीज और केंद्रीय संपत्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो एएसआई के रखरखाव के अधीन हैं;
- (ग) सरकार के नाम पर ऐसी केंद्रीय अनुरक्षित संपत्तियों का पंजीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ताकि इन विरासती संपत्तियों के अतिक्रमण को रोका जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके;
- (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित और अनुरक्षित विष्णुपुर, पश्चिमी बंगाल की संपत्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके भू-अभिलेख की स्थिति क्या है; और
- (ङ.) क्या सरकार का यूनेस्को के अंतर्गत आने वाले विश्व विरासत स्थल विष्णुपुर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित और संरक्षित सभी क्षेत्रों को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): अनेक स्मारक और क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी जमीन सरकार के नाम पंजीकृत है। इसके अलावा कुछ दान संपत्ति और प्राइवेट पार्टियों के नाम से पंजीकृत हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 3 और धारा 4 के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों को उनके स्वामित्व में बदलाव किए बिना राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करता है। देश में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 3698 स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष हैं। राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जहां कहीं व्यवहार्य हो, स्मारकों और स्थलों के बेहतर रख-रखाव के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है। इसके अलावा, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 6 के तहत करार करके संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण किए जाने का प्रावधान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित

स्मारकों और क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पहरा और निगरानी स्टॉफ की तैनाती करना, बाड़ लगाना और जागरूकता अभियान का आयोजन आदि करना जैसे आवश्यक कदम उठाता है।

(घ): विष्णुपुर में 20 संरक्षित स्मारक और क्षेत्र हैं जिनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।
ब्यौरा अनुबंध-II में है।

(ड): विष्णुपुर के मंदिरों को पहले ही यूनेस्को की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है।

अनुबंध- I

लोकसभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1696 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की संख्या का सार

क्रम सं .	राज्य का नाम	स्मारकों और क्षेत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	03
3.	असम	55
4.	बिहार	70
5.	छत्तीसगढ़	46
6.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	11
7.	गोवा	21
8.	गुजरात	205
9.	हरियाणा	93
10.	हिमाचल प्रदेश	40
11.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	56
12.	झारखंड	13
13.	कर्नाटक	506
14.	केरल	29
15.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	15
16.	मध्य प्रदेश	291
17.	महाराष्ट्र	286
18.	मणिपुर	01
19.	मेघालय	08
20.	मिजोरम	01
21.	नागालैंड	04
22.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	172
23.	ओडिशा	81
24.	पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07
25.	पंजाब	33
26.	राजस्थान	163
27.	सिक्किम	03
28.	तेलंगाना	08
29.	तमिलनाडु	412
30.	त्रिपुरा	08
31.	उत्तर प्रदेश	743
32.	उत्तराखंड	44
33.	पश्चिम बंगाल	135
	कुल	3698

अनुबंध -II

लोकसभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1696 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

बिष्णुपुर में संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र जिनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

क्रम सं.	संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र का नाम	स्वामित्व की स्थिति
1	दलमाडल तोप और वह मंच जिस पर इसे रखा गया है	देबोत्तर
2	पुराने किले का द्वार	देबोत्तर
3	जोरे-बुंगला मंदिर	निजी
4	जोरा मंदिर	देबोत्तर
5	काला चांद मंदिर	निजी
6	लालजी मंदिर	निजी
7	मदन-गोपाल मंदिर	देबोत्तर
8	मदनमोहन मंदिर	देबोत्तर
9	मालेश्वर मंदिर	देबोत्तर
10	मुरलीमोहन मंदिर	देबोत्तर
11	नन्द लाल मंदिर	देबोत्तर
12	पाटपुर मंदिर	देबोत्तर
13	राधाबिनोद मंदिर	देबोत्तर
14	राधागोविंद मंदिर	देबोत्तर
15	राधामाधव मंदिर	निजी
16	राधाश्याम मंदिर	निजी
17	रश्मंचा	देबोत्तर
18	श्याम राय मंदिर	निजी
19	किले का छोटा प्रवेशद्वार	निजी
20	पत्थर का रथ	देबोत्तर
